

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का/आर्द0एल0आर0 गढ़ोदगजी राजस्थान प्रम. उद्योग जमावदी
27/11/2020 उद्योग विभागाध्यक्ष, जमावदी, सरोजकंप (पुनी) के प्रति हिमात्मक प्रवृत्ति
दि. 15 जाति शुभ पत्र है। जमावदी जमीन के जाति राजपुर है। अतः उनकी जाति उद्योग
किया जाना उचित है।

क्रमांक राजस्व/2020/

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी, गुढागौड़जी

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुरस्त किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुरस्त किये जाने की अनिश्चिता की जाती है / उचित की जाती है।

दुरुरस्त किया जाना उचित है।

26/11/2020

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1740
21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)
- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुरस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी-सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	591E	2075-78	329	बिलोपकंप, पुनोपकंप, सरोजकंप (पुनी) के प्रति हिमात्मक प्रवृत्ति का उद्योग दि. 15 जाति शुभ	बिलोपकंप, पुनोपकंप, सरोजकंप (पुनी) के प्रति हिमात्मक प्रवृत्ति का उद्योग दि. 15 जाति शुभ

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

26/11/2020

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 26.11.20

क्रमांक :- राजस्व/2020/1665-1666

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्तो पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया



सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी